



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक—(इकाई—2)

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1995 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु:-

स्वीकृति - पत्र

सेवा में,

श्री रणवीर सिंह,
पुत्र श्री सौनाथ सिंह
निवासी-भूखण्ड सं०-सी०पी०-501,
प्रथम आवास विकास कालोनी, जे०पी० नगर,
अमरोहा।

पत्रांक-734

नि०प्र०-01/2014-15

दिनांक-22.4.15

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी०पी०-1, योजना सं०-2, अमरोहा में निर्माण करने सम्बंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक-21.04.2015 के कम में आदेश रजिस्टर सं० के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. कम्पाउन्ड वाले परिषद के निर्धारित डिजाईन के अनुसार निर्मित की जानी होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक-22.4.15 से 21.4.2020 तक) पाँच वर्ष होगी।
4. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
5. भूखण्ड पर प्रथम बार निर्माण करने की सूचना अधिशासी अभियंता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-26, मुरादाबाद को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
6. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बंधित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
7. यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा वह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
8. यह स्वीकृत केवल Stilt, प्रथम तल तथा द्वितीय तल हेतु है।
9. यह स्वीकृत 398.40 वर्ग मी० निर्माण क्षेत्रफल के लिये 410.00 वर्ग मी० के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
10. Stilt Floor पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार दर्शायी गयी पार्किंग के अतिरिक्त अन्य कोई भू-प्रयोग अनुमन्य नहीं होगा।

संलग्नक—स्वीकृति मानचित्र की एक प्रति।

पृ०सं०-734
प्रतिलिपि :-

/उपरोक्त/.....

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक
तद दिनांक-22.4.15

1. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-23/24/25/26 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद बरेली को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, जे०पी० नगर, अमरोहा को उपरोक्त शर्तों के सन्दर्भ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्राप्त
अमरोहा
22-4-2015

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक—(इकाई-2)

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1995 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु:-

स्वीकृति - पत्र

सेवा में,

श्री मोहम्मद अतहर रिजवी
पुत्र श्री अतीकूर्रहमान,
निवासी-मौहल्ला मुल्लाना, अमरोहा,
जिला-जे०पी० नगर, (उ०प्र०)

पत्रांक.....865

नि०प्र०-06 / 2014-15

दिनांक-6/5/15

व्यवसायिक कम्प्यूनिटी भूखण्ड संख्या सी०सी०-01, योजना सं०-2, अमरोहा में निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक-22.04.2015 के कम में आदेश रजिस्टर सं० के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. कम्पाउन्ड वाले परिषद के निर्धारित डिजाईन के अनुसार निर्मित की जानी होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 6/5/15 से 5/5/2020 तक) पाँच वर्ष होगी।
4. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
5. भूखण्ड पर प्रथम बार निर्माण करने की सूचना अधिशासी अभियंता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-26, मुरादाबाद को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
6. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बंधित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
7. यदि इस भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा वह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
8. यह स्वीकृत केवल भूतल हेतु है।
9. यह स्वीकृत 330.00 वर्ग मी० निर्माण क्षेत्रफल के लिये 1285.83 वर्ग मी० के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
10. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार खुले स्थान में दर्शायी गयी पार्किंग सुनिश्चित की जानी होगी।

संलग्नक-स्वीकृति मानचित्र की एक प्रति।

पृ०स०.....865
प्रतिलिपि :-

/उपरोक्त/.....
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक
तद् दिनांक-6/5/15

1. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-23/24/25/26 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद बरेली को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अमरोहा, जे०पी० नगर को उपरोक्त शर्तों के सन्दर्भ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

.....
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक